

TELECOM

Organ of National Federation of Telecom Employees (BSNL)

(Regd. No. 4906 dated : 17.9.2001)

C-4/1 Bangla Sahib Road, New Delhi - 110001

Office : 2336 3245, 2334 6656, 23746 677,
Fax : 23341877
Chandeswar Singh : Resi. 2570 6166, Mobile: 9868 256 622, 09431 200 383
Islam Ahmed : Resi. 25704847 Mobile: 9868 230 506
C.K. Mathivanan : Mobile: 9810 576 781 (Delhi), 9487 621 621 (Chennai)

E-mail : nftechq@yahoo.com
Website : www.nftechq.co.in

NOVEMBER, 2010

Com. Chandeswar Singh, General Secretary

Vol. LVI No. 11

EDITORIAL :

"WHISTLING" IN THE DARK?

NFTE-BSNL had filed two separate writ petitions in Madras High Court for effecting necessary changes in the existing code of discipline under which already four membership verifications were held in BSNL ever since 2002. The adamant and undemocratic attitude of the Management for changes in the code of Discipline even while 11 unions out of 13 unions participated in the 16th September meeting at New Delhi demanded changes only provoked us to approach the Court for justice. But BSNLEU as usual spread rumors throughout the Country that NFTE-BSNL will boycott the 5th membership verification. The recognised Union also declared that NFTE-BSNL is afraid of facing elections. All these are plain lies only to hoodwink their own membership who are thoroughly disgusted with the non-performance of BSNLEU. We will never oblige the recognised union and stay away from the electoral contest. We are prepared for the elections in February if it is held as announced and hopeful of emerging victorious since some Unions/Associations which were part of BSNLEU alliance from the beginning are now moving away from it and inching towards NFTE-BSNL. The all-round failure of the BSNLEU must be brought to the notice of each and every non-executive employee so that they realise the danger for their future and company if BSNLEU retains recognition.

The second wage revision negotiated solely by the BSNLEU actually resulted in recoveries for some cadres and for all of us nearly thousand rupees was lost every month due to the acceptance/surrender of BSNLEU for only 68.8%. IDA merger for second wage revision. Both the Management and BSNLEU have joined hands to deny 78.2% IDA merger to our employees despite the Government of India's instructions for 78.2% IDA merger. Similarly the BSNLEU signed agreement for Non-executive Promotion Policy (NEPP) with the full knowledge of denial of SC/ST reservation in NEPP. But strangely it shed "Crocodile tears" in JAC meetings for both 78.2% IDA merger and denial of SC/ST reservation in NEPP. The Regular Mazdoor, Telecom Mechanics and TTAs have been cheated and denied opportunity to appear in departmental promotional examinations of TMs, TTAs and JTOs. The employees are aware of this "double act" and will surely show the doors to BSNLEU in the 5th membership verification. Hence the recognised union is spreading all sorts of "Stories" and "Rumours" about NFTE-BSNL like a frightened man whistling in the dark while walking. Let us gear up our propaganda and approach every employee to expose the surrender of BSNLEU and its non-performance for the last six years from 2004 to 2010 even though it was repeatedly elected as a recognised union for three consecutive times. ■

DEEPAWALI AND IDUL-AZHA GREETINGS TO ALL BSNL WORKERS

शु. इणामा
ए. राजा
A. RAJA



Dy. No. 1859/MOC&IT/VIP/2010
मंत्री
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110 003
MINISTER
COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA
ELCETRONICS NIKETAN, 6, C.G.O. COMPLEX
NEW DELHI - 110 003

24 AUG 2010

Dear Thiru. Gupta Ji,

I have received your letter dated 31.07.2010 regarding review the matter of recognition of unions in BSNL.

I am having the matter looked into.

With regards,

Yours sincerely,

[A. RAJA]

Thiru. Gurudas Das Gupta,
Member of Parliament (LS),
35-36, Deen Dayal Upadhyay Marg,
Rouse Avenue,
New Delhi – 110 002.



प्रधान मंत्री
Prime Minister

New Delhi
29 July, 2010

Dear Shri Dasgupta,

I have received your letter of 17 July, 2010 regarding filling up of vacant senior posts in Bharat Sanchar Nigam Limited.

With regards,

Yours sincerely,

(Manmohan Singh)

Shri Gurudas Dasgupta, MP
15, Canning Lane
New Delhi

GURUDAS DAS GUPTA

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

GENERAL SECRETARY
ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS

Dear Mr. Prime Minister,

I am enclosing a copy of the representation, dated 7.7.2010 from BSNL Workers Alliance addressed to you regarding non-availability of full compliment of Sr. Officers in BSNL for years which is crippling the PSU. The representation is self explanatory. I shall be grateful if you kindly direct the concerned department to take immediate steps to fill the vacant posts at senior level.

With kind regards,

Dr. Manmohan Singh,
Prime Minister of India,
Govt. of India, South Block,
New Delhi.

Yours sincerely,

(Gurudas Das Gupta)

35-36, Deen Dayal Upadhyay Marg
Rouse Avenue, New Delhi-110002
Tel. 23217320/23220264
Fax: 23222427
Mobile 9868180640

Dated 17.7.2010

LETTERS TO ADMINISTRATION

No. TF-III (C) / 5th verification Dated 29/09/2010 to Sr. General Manager (SR), BSNL

Please refer to your communication No. BSNL / 7-12/ SR / 2010 dated 28/09/2010 regarding demonstration to be held on 30th September, 2010.

According to the contents mentioned in the letter referred above there was no consensus amongst the unions for change in Code of Discipline for recognition of unions in BSNL. But you will also appreciate that the majority of unions present in the meeting on 16/09/2010 were in favour and demanded that the BSNL should evolve its own rules for recognition. The management should not conveniently forget and ignore the fact that if there was no consensus for new rule simultaneously there was 'no consenses for holding 5th verification as per old code of Discipline which is applicable only in respect of unions affiliated to Central Trade Unions. There was consensus for extension of minimum trade union facilities to unions in meeting of 12/11/2008 but the management avoided to decide resulting to present unpleasant situation.

We may also state that both the exercise as mentioned in para (3) of the letter cannot go together as such it requires elucidation. The eight unions dissociated from the meeting of 16/09/2010 because arbitrary decision was taken by Chairman for holding 5th verification as per old code of Discipline of Central T.Us.

We, therefore, request you to consider the entire matter in real perspective and take very urgent steps and initiate dialogue with the unions to end the present stalemate. However, the demonstration of 30/09/2010 is deferred in view of the Ayodhya verdict scheduled to be pronounced on 30th September 2010 and prohibitory orders promulgated in many states.

5th Verification to Identify Majority Non-Executive union in BSNL.

No. TF-1/1 (C)/5th verification dated 30.9.2010 to Chief Labour Commissioner, (Central), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi.

In the meeting held on 16/09/2010 the majority of unions, nine out of eleven, present in the meeting, demanded that the BSNL Management should evolve its own rules for recognition of unions. It is

pertinent to state that the Dy.CLC in the meeting of 12/11/2008, on the eve of 4th verification, had stated that the PSU can evolve its own rules /code of conduct for recognition of unions. But the Chairman of the meeting, GM (SR) on 12/09/2010 arbitrarily and ignoring the demand of majority of unions decided to conduct 5th verification as per old conduct rule which is applicable only in respect of Central Trade Unions. This forced the majority of unions to dissociate from the process which is being conducted on behalf of labour Ministry. The BSNL management is avoiding to evolve its own rule on the plea of "no consensus" ignoring the fact there is no consensus for old rule also. Moreover, majority of unions are dissociating in the process which is being done on behalf of CLC. A very unpleasant and complicating situation is developing in the BSNL and the verification / election will become a mockery. We have already apprised you that near about one lakh employees remain unrepresented in the Negotiating Machineries and workers grievances are not redressed due to application of old Code of Discipline.

We, therefore, request you to use your good offices to stop illegal and irregular process of election so that resentment and unpleasantness may not further spread and increase. The BSNL management should not be allowed to bulldoze the voice of unions and be refrained to do illegal deeds on your behalf.

5th Verification

No.TF-1/1 (C) /5th verification Date 13.10.2010 to GM (SR) BSNL New Delhi.

Kindly refer to our Letter No.TF-1/1 (c) /5th verification date 2910912010 (copy enclosed). Till date the SR cell has not responded to our grievance.

During the course of meeting with CMD on 12/10/2010 we mentioned that on account of arbitrary and indifferent attitude avoidable resentment has been created and steps have not been taken to discuss to sort out the issues. We handed over a copy of "code of Discipline" which is not at all applicable on unions which are not affiliated to any of the four central Trade organizations and their cases of recognition have to be dealt with separately.

We, therefore, request you to please look into

the matter as desired by CMD and hold talks with unions for evolving rules of recognition for non-affiliated unions.

Clarifications on NEPP :- Resolutions adopted in the National Executive Meeting held at Jalandhar.

No.TF-26-6 Date 15.10.2010 to Chairman and Managing Director, BSNL, New Delhi

The BSNL Head Quarter vide Letter No. 13-212010-TE date 20108/2010 has issued about four dozens clarifications on points relating to New non-executive Promotion Policy. Some of these clarifications are disadvantageous and have inflated the confusion. The National Executive Meeting of union, held on 4th 11th October, 2010 has discussed the issues in detail and adopted three resolutions (13, 14 and 15). I am forwarding these resolutions for your kind perusal and appropriate action.

We request you to please get the points considered at the earliest as option date 22.10.2010 is fast approaching.

Reservation of SC/ST employees in NEPP

No.TF-26—6 Date 22/10/2010 to Shri Gopaldas, CMD, BSNL, New Delhi

Kindly refer to our letter No. TF-26/6 Dated 15-10-2010 forwarding a copy of resolution adopted in the National Executive Meeting held at Jalandhar.

It is stated that SC/ ST employees get five years relaxation in age in recruitment but they retire at 60 years of age like as O/c candidates. They may

not get all the upgradations in NEPP as stipulated in the scheme. The erst while OTBP / BCR Scheme was also automatic but service relaxation provision was made for SC/ ST staff.

Therefore, we request you to please look into the matter so that adequate relaxation is made in service period for granting upgradation in NEPP in respect of S/C S/T candidates.

We are sure you will take effective steps to remove the present frustrations of the above category of employees.

Conciliation under ID act

No.TF-38/6 Date 22/10/2010 to The C.M.D. BSNL with copy to GM (SR), BSNL

We seek a formal meeting to discuss the following issues at the earliest. In case meeting is not held we will be compelled to seek intervention of Chief Labour Commissioner to hold Conciliating meet under Industrial Dispute Act. But we will like that the issues be settled with the BSNL.

- 1) Distribution of DOTs Assets.
- 2) Pension of regularized casual Labourers.
- 3) Regularisation of Casual Mazdoors.
- 4) Upgradation of Sr TOAs as approved by BSNL Board
- 5) Upgradation of trained RMS as TMs.
- 6) Relaxation of Service period from 7 to 5 years to appear in JTO departmental quota examination.

Kindly fix a meeting at the earliest. ■

LETTERS FROM ADMINISTRATION

5th Membership verification to elect a majority union of non-executives' in BSNL -consideration of change in Code of discipline regarding.

No. BSNL/5-1/SR/2010 Dated, the 16th August, 2010 to General Secretaries of all applicant unions

At the time of last membership verification, some of the unions raised an issue for change in the Code of discipline on the premise that the existing Code of discipline is very old and is not largely applicable in the present circumstances. With a view to consider this demands, all the applicant unions are advised to submit their view-points in this regard, if any within a period of 15 days, i.e. by 31st

August, 2010, so that a meeting could be convened with all the applicant unions to discuss the issue threadbare and come to an agreed conclusion.

Appointment of Chief Returning Officer - conduct of 5th membership verification for electing a majority representative union of non-executive employees in BSNL - regarding.

BSNL No. BSNL/5-1/SR/2010 Dated, the 29th September, 2010

With the approval of the competent authority, Shri Neeraj Verma, General Manager (Training). BSNL C.O. (Tele No. 011-23714014, Fax No. 011-23356657) is hereby appointed as the Chief Re-

turning Officer for overseeing the conduct of 5th membership verification proposed to be held in the month of February, 2011, for electing the majority representative union of non- executive employees in BSNL.

Non-transfer of non-executive staff till completion of 5th membership verification process in BSNL -regarding.

No. BSNL /5-1/SR/2010 Dated, 1st October, 2010 to All CGMs, BSNL, PGM (PF), BSNL C.O. and Sr. GM (Pers.) / Sr. GM (Estt.), BSNL C.O.

In view of the impending 5th Membership verification for election of a majority union in BSNL, it has been decided that outstation transfers of non-executive (Group C & D staff) employees (other than those on promotion or change of cadre if it involves change of station and own cost/request transfers), may be held in abeyance until further orders and till completion of 5th membership verification process.

2. However, the transfers involving change in posts (without change in the station of posting) would no come within the purview of this order.

3. These instructions shall come into force with immediate effect.

Conduct of 5th membership verification to elect a majority representative union of non-executive employees in BSNL - Preparation of revised Electoral Rolls regarding

BSNL No. BSNL/5-1/SR/2010 Dated, 1st October, 2010 to 1. All GCM, BSNL, 2. PGM (PF), BSNL C.O., 3. Sr. GM (Pers)/Sr. GM (Estt), BSNL C.O.

The election for verification of majority Union (s) of non-executive employees in BSNL was last held in January, 2009. The election for the next membership verification has become due for which is tentatively proposed to be conducted in the month of February, 2011. Accordingly. It is requested that as a preliminary action, process of preparations of revised electoral rolls may be started immediately. The primary data may be obtained form BSNL HR package and thereafter necessary corrections / additions/ deletions incorporated.

2. It is expected that the guidelines for preparation of electoral rolls issued in the past are avail-

able in your office. However the broad guidelines for preparation of revised electoral rolls are given below for your information and guidance:-

- i) The draft/provisional - revised electoral rolls may be prepared in the proforma, enclosed at Annexure-I.
- ii) The names of officials who will be retiring up to 31-1-2011 may not be included in the revised electoral roll.
- iii) The information regarding number of polling booths in a SSA may be reviewed by the Head of SSA in consultation with Circle office keeping in mind the least inconvenience to the employees and also to minimize the expenditure. The information of polling booths may be prepared in the proforma at Annexure-II

3. The Instructions issued earlier on the above subject may also be kept in mind while preparing the revised electoral roll. The above exercise may be started immediately and completed positively by 31st October, 2010 under intimation to this office.

CIRCULAR No. 16

Board level posts and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises(CPSEs) -Revision of scales of pay w.e.f. 01.01. 2007-Payment of IDA at the revised rates regarding.

BSNL No. 14-3/2010-PAT(BSNL)/revised scale Dated 22.10.7010

Department of Public Enterprises C.M. No.2 (70) /2008-DPE(WC)-GL- XVIV/2010 dated 18.10.2010 on the above mentioned subject at revised DA rates 39.8% w.e.f. 1.10.2010 is sent to all concerned for information and necessary action please.

Encl: As above.

F.No. 2 (70)/2008-DPE (WC) - GL - XVIV/2010 Government of India, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Departmental of Public Enterprises.

In modification of this Department's O.M. of even number dated 2.8.2010, the rate of DA payable to the executives and non-unionised supervisors of CPSEs may be as follows:

Effective Date	Average of AICPI	Revised DA rates (%)
1.10.2010	176.66	39.8%

2. The above rates of DA would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.Ms. dated 26.11.2008, 9.2.2009 & 2.4.2009.

3. All administrative Ministries/Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for action at their end.

CIRCULAR No. 16

Sub: Board level posts and below Board level posts including non-'unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises(CPSEs) -Regarding payment of IDA at the revised rates for employees drawing their pay in pre-revised IDA scales w.e.f 01.01.1997.

No. 14-3/2010-PAT(BSNL) I pre-revised scale Dated 22.10.2010.

Department of Public Enterprises C.M. No.2(9)/2000-DPE(WC)-GL-XX/2010 dated 18.10.2010 on the above mentioned subject at revised DA rates 136.1% w.e.f. 1- 10-2010 is sent to all concerned for information and necessary action please.

Encl: As above.

F.No. 2 (9)/2000-DPE (WC) - GL - XX/2010 Government of India, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Departmental of Public Enterprises.

In modification of this Department's O.M. of even number dated 2.8.2010 and 5.8.2010 the rate of DA payable to the executives of CPSEs may be as follows:

Effective Date	Average of AICPI	Revised DA rates (%)
1.10.2010	4033	136.1%

These rates may be made applicable in the case of IDA employees, whose pay have been revised with effect from 01.01.1997 as per DPE O.M. dated 25.6.1999.

2. All administrative Ministries/Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for action at their end.

OFFICE ORDER (No.19 of 2010)

Encashment of Earned Leave while availing Leave Travelling Concession (LTC) for the staff of BSNL (absorbed, directly recruited & un-absorbed employees) without deducting the same from the maximum amount of Earned Leave encashable at the time of retirement.

BSNL No.1-10/2010-PAT (BSNL)/encashment of EL Dated, the 27.10.2010 to all CGMS

The Issue of encashment of Earned Leave while availing Leave Travelling Concession (LTC) for the BSNL employees without deducting the same from the maximum amount of Earned Leave encashable at the time of retirement has been under consideration in this office

2. The approval of the Board of Directors of BSNL is, hereby, conveyed for allowing encashment of Earned Leave while availing Leave Travelling Concession for the employees (absorbed, directly recruited & un-absorbed employees) without deducting the same from the maximum amount of Earned Leave encashable at the time of retirement.

3. All categories of employees working in BSNL may be allowed to encash upto ten days earned leave at the time of availing LTC to the extent of 60 days during the entire career. The leave encashed at the time of LTC will not be deducted from the overall accumulation limit of 300 days encashable at the time of retirement.

4. In cases, where both husband and wife are BSNL employees/government servants, the present entitlement for availing LTC shall remain unchanged, and encashment of leave upto 10 days at the time of availing of LTC will continue to be available to both, subject to a maximum of sixty days each during the career.

5. This order is effective from 28th September, 2010. The encashment stated above is admissible in all cases. Where the outward journey is performed on or after 28.9.2010.

6. There is no change in the other conditions for encashment of leave while availing LTC.

7. Hindi version will follow. ■

Press Conference on the eve of NE Meeting at Jalandhar

3 lakh employees to form panel to oppose BSNL disinvestment

AMANINDER PAL
TRIBUNE NEWS SERVICE

JALANDHAR, OCTOBER 5

Around 14 various unions and federations, which represent over 3 lakh officers and technical employees of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), have decided to constitute the Joint Action Committee (JAC) to form a common platform to oppose the recommendations made by the Sam Pitroda Committee.

Over 700 representatives of all the unions, who had gathered here today to attend the national executive committee of National Federation of Telecom Employees (NFTE), unanimously passed the resolution to wage a continuous agitation against the recommendations of the three member expert committee, headed by Sam Pitroda, which was constituted by the central government to deal with the declining profits of the BSNL.

Besides other recommendations, the

Up in arms against the recommendations made by the Sam Pitroda Committee

committee had proposed the disinvestment of 30 percent of shares of BSNL, reduction of employees strength by one lakh in the coming 2-3 years and unbundling of BSNL's free cables, which have been spared due to surrendering of landline connections in the past.

Talking to the Tribune, CK Mathivanan from Chennai, Deputy General Secretary, NFTE, said that though the BSNL was all set to use such spare cables to run broadband networks and broadband run cable TV, the private telecom companies were prevailing over the ministers and authorities concerned to take over such spare cables to run their own networks.

"Such cables were laid by the BSNL

after spending heavy amount of money. Therefore, all such cables are the property of BSNL. By taking over such cables, private companies want to evade the revenue input, needed to lay such cables", he added.

Islam Ahmed from Aurangabad and Chandeshwar Singh from Patna, President and General Secretary of the federation, respectively, said that on the pretext of loss incurred by the BSNL, the authorities were denying bonus to the employees.

"Bonus is only a deferred wage, which has to be paid whether the company is running in profit or loss", they added.

They added that the authorities were cutting down the employee strength in the garb of offering them VRS. "It's not voluntary as they have already set their targets to cut down the employee strength", they said.

The JIC has also threatened to observe three day nationwide strike and protest march towards Parliament over the issues in November.

WRU AIC at Varanasi

BSNL WRU All India Conference held its All India Conference at Varanasi GS attended the open session and gave a clarion call to all unions to unite to defeat BSNEU which is symbol of all the ills. ■

West Bengal CWC

The circle working committee of NFTE BSNL was held on 26th/27th October at Siliguri Com. C. Singh GS attended and addressed the meeting. The situation is changed in West Bengal and NFTE BSNL will perform well in the verification. ■

Circle Conferences

M.P.

In the circle conference, held at Ujjain on 24th/

25th October comrades A.K. Mishra (Sr. TOA), Habib Khan (TM) and M.D. Salodkar (STS) have been elected as President, circle Secy and Treasurer of union.

HQr welcomes new office bearers.

Maharashtra

Maharashtra circle has completed its conference from 27th to 28th Oct. 2010 at Kolhapur. Com. Islam and Kulkarni (Secy.) represented the headquarters. Earlier Com. Islam also attended District conferences of Jalgaon and Kolhapur on 25th and 26th October. *There is tremendous improvement in organisational sphere at Maharashtra.*

Comrades Tumram, Ayere and Panchal have been elected as President, Circle Secy. and Treasurer. ■

Railway Department introduced Replacement Scheme for VRS

Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff -(LARSGESS)

The Railway Ministry has issued orders modifying the Safety Related Retirement Scheme (SRRS) to that of Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS). Extract of Railway Board's letter No.E(P&A)I-2010/RT- 2 dated 11.09.2010 together with its Annexure is given below:

Safety Related Retirement Scheme covering safety categories with Grade Pay of Rs. 1800/-.

Please refer to Board's letter No. E(P&A)I-2001/RT-2 (KW) dated 2-1- 2004 regarding introduction of Safety Related Retirement Scheme (SRRS) for Drivers and Gangmen.

It has now been decided to extend the benefit of Scheme to other safety categories of staff with a grade pay of Rs. 1800/- p.m. The qualifying service has been reduced from 33 years to 20 years and the eligibility age group from 55-57 years to 50- 57 years for seeking retirement under the Scheme in the case of Safety categories with Grade Pay of Rs. 1800. The list of Safety categories covered under the Scheme is enclosed as Annexure.

It has also been decided to modify the nomenclature of the Scheme as **Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for safety Staff (LARSGESS)** with Grade Pay of Rs. 1800. However., the employment under the Scheme would be guaranteed only to those found eligible/ suitable and finally selected as per procedure.

The condition of qualifying service (i.e. 33 years) and age group (i.e. 55-57 years) for Drivers will remain unchanged.

It is also reiterated that the retirement of the employee' be considered only if the ward is found suitable in all respects. Retirement of the employee and appointment of the ward should take place simultaneously.

The other terms and conditions of the Scheme will remain unchanged.

Annexure

Annexure to Railway Boards letter No. E(P&A)I-2010/RT-2 dated 11-9-2010.

Safety Categories with Grade Pay of Rs. 1800.

- A. Operating Department:** Pointsman, Shuntman, Leaverman, Gateman, Traffic Porters.
- B. Civil Engineering Department :** Gateman, Trolleyman, Keyman.
- C. Signal & Telecommunication Department:** Khalasi/Khalasi Helper re-designated as Helper Grade II & Grade I attached to ESM/ MSM/ TCM/WTM.
- D. Mechanical & Electrical Department:** Khalasi/Khalasi Helper re-designated as Helper Grade II & Grade I assisting Loco Fitters/C&W Fitters/Fitters in Diesel Sheds (Open Line & Workshops)/ EMU /Elect. Sheds (Open Line & Workshops) and Train Lighting & AC Fitters (Open Line & Workshop).
Crane Jamadar & Crane Khalasis.

For the benefit of the Readers relevant copy of Railway Board's letter No. E(P&A)I-2001/RT-2 (KW) dated 2-1-2004 is given hereunder:

Copy of Railway Board letter No. E(P&A)I-2001/RT-2(KW) dated 2-1- 2004.

Safety Related Retirement Scheme -Drivers and Gangmen.

Arising out of deliberations in the Workshop on safety on Indian Railways conducted on 12th and 13th of July, 2003 the Ministry of Railways have decided to introduce a safety Related Retirement Scheme for the categories of Gangmen and Drivers.

The main features of the Scheme .are as follows :-

- The Scheme may be called safety Related Retirement Scheme.

The Scheme will cover two safety categories viz., Drivers (excluding shunters) and Gangmen whose working has a critical bearing on safety of train operations and track maintenance. The Scheme has been framed on the consideration that with advancing age, the physical fitness and reflexes of staff of these categories deteriorate, thereby causing a safety hazard.

(i) **Drivers:** This category is directly responsible for the running of trains. Running duties demand continued attention and alertness. The element of stress combined with uncertain hours of work entailed in the performance of running duties over long periods of time tend to have a deleterious psychosomatic effect on their health. There is a slowing down of reflexes with the passage of time making them vulnerable to operational lapses.

(ii) **Gangmen :** This category is responsible for the proper maintenance of tracks. Their duties involve heavy manual labour in the laying of tracks, repair of tracks, patrolling etc. Unlike workshops/locosheds, all this labour is performed in the open environment, they are subjected to the vagaries of extreme weather conditions, non-availability of fork lifts, EOT cranes, wheel barrow etc. As a result the infirmities associated with the aging processes and, spinal and back problems catches up quite early in life. These categories, work in conditions, in which fatigue sets in earlier, than in the case of staff who work indoors or within station limits or in depots and workshops. Although the other categories nomenclatured as safety categories also have a vital role to play in ensuring operational safety, the nature of their duties, is less arduous. Therefore no other category other than Gangmen and Drivers is included in the Scheme. For the same reason, shunters who perform less strenuous, shift wise, duties within station yards, will also not be included in the scheme.

- ➔ Under the Scheme, Drivers and Gangmen in the age group of 50 to 57 years may seek retirement.
- ➔ Employment to a suitable ward of the employee, whose application for retirement under the scheme is accepted, will be considered.
- ➔ The employee should have completed 33 years

of qualifying service in order to be eligible for seeking retirement under this scheme.

- ➔ The request for retirement will be on a voluntary basis and there will be no element of compulsion on the part of the Administration.
- ➔ The ward will be considered for appointment only in the lowest recruitment grade of the respective category from which the employee seeks retirement, depending upon his/her eligibility and suitability, but not in any other category.
- ➔ Applications from those who propose to retire under this scheme will be taken once in a year. The cut off date for reckoning the eligibility of employees for seeking retirement under this scheme will be 30th June of the respective year. All conditions of appointment for the ward of such retirees such as age limits, educational qualifications etc. will also be determined with reference to that date.
- ➔ The last date for submission of requests for retirement and consideration of a ward for appointment under the scheme, will be the 31st of July of the: respective year.
- ➔ Employees who desire to withdraw their requests for retirement may be allowed to do so, not later than 30th September of the respective year. No request for withdrawal of request will be entertained thereafter.
- ➔ The discretion to accept the request for retirement will vest with the administration depending upon the shortage of staff, physical fitness and the suitability of the ward for appointment in the category of Driver / Gangmen as the case may be.
- ➔ Those who have completed 33 years of qualifying service and are in the age group of 55 to 57 years would be considered in the first phase of the scheme to be followed by those in the age group of 53 years onwards but less than 55 years.
- ➔ The conditions of eligibility, in the case of wards, being considered for appointment would be the same as prescribed for direct recruitment from the open market.
- ➔ Suitability of the wards will be assessed in the same manner as is being done in the case

of direct recruitment. The assessment will be done through respective Railway Recruitment Boards. The request of the employee for retirement under this scheme would be considered only if the ward is considered suitable for appointment in all respects, including medical fitness.

- Since the Safety Related Retirement Scheme is a package having no nexuses with any of the existing schemes, no weightage towards qualifying service will be admissible to the employee who seeks retirement under this scheme. The wards appointed under this scheme will not be allowed to change their category, except as is being allowed under the already existing rules.

- For the purpose of reckoning eligibility for residential accommodation, wards appointed under this scheme will be treated at par, with those appointed through direct recruitment, from the open market the terms of regularisation of accommodation as applicable to the wards of employees appointed on compassionate basis, will not be applicable in their case.

After the successful implementation of the first phase of the scheme, the implementation of the second Phase covering employees with less than 33 years of qualifying service would be considered for clearance by the Railway Board.

The Scheme will come into force the date of issue of this letter. ■

Andhra Circle

The Circle union has held circle working committee meeting twice after conference to gear up the working to face the 5th verification unitedly. There is no dispute or difference in circle union. Andhra circle is determined to register victory in the election.

Haryana

The circle union is fully prepared and ready to face the 5th Verification with vigour and strength to register landslide victory. There is no cleavage within the organisation.

Core Committee Meeting

The Core Committee of NFTE BSNL will meet on 15th November at Delhi to evolve strategy for 5th Verification.

Writ Petition in Chennai High Court

NFTE BSNL's writ petition for new recognition rule is likely to be heard on 12th November.

Bonus

Issue has been referred to BSNL management for consideration.

3 days strike

NFTE BSNL will participate in 3 days strike from 29th November.

Com. Kailash Mishra, ACS NFTE BSNL Assam expired on 17th Oct. CHQ conveys heartfelt condolences.

आंध्र सर्किल

कांफ्रेंस के उपरांत सर्किल की दो कार्यकारिणी बैठक हो चुकी है। सर्किल यूनियन एकमत तथा वृद्धता के साथ वेरीफिकेशन में सफलता प्राप्त हेतु कार्यरत हैं। संघ में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है।

हरियाणा सर्किल

हरियाणा सर्किल वेरीफिकेशन में प्रचंड बहुमत प्राप्त हेतु कटिबद्ध है। सभी पदाधिकारी पूरी शक्ति के साथ एकमत से लक्ष्य की प्राप्ति में लग गए हैं।

कोर कमेटी की बैठक

वेरीफिकेशन की रणनीति बनाने हेतु एनएफटीई की कोर कमेटी की बैठक 15 नवंबर को दिल्ली में होगी।

चेन्नई हाईकोर्ट में याचिका

मान्यता के नवीन नियम बनाने के लिए दाखिल याचिका की सुनवाई 12 नवंबर को सम्भावित है।

बोनस

मामला विचारार्थ प्रबंधन को सुपुर्द है।

तीन दिनों की हड़ताल

एनएफटीई 29 नवम्बर से तीन दिनों की हड़ताल संगठित करेगी।

अंधकार में भ्रमण

एनएफटीई बीएसएनएल चेन्नई हाईकोर्ट में दो पृथक याचिकाएं कोड आफ डिस्सिपलिन में परिवर्तन हेतु दाखिल की है। वर्ष 2002 से चार वेरीफिकेशन इस कोर्ड आफ डिस्सिपलिन के माध्यम से हो चुकी हैं। सितम्बर 16 की औपचारिक बैठक में 13 पंजीकृत संघों में से 11 ने एक स्वर से कोड आफ डिस्सिपलिन में परिवर्तन की मांग की। प्रबंधन के अप्रजातांत्रिक तथा निरंकुश निर्णय के विरुद्ध एनएफटीई को न्याय हेतु चेन्नई हाईकोर्ट में जाना पड़ा। परंतु बीएसएनएलईयू ने संपूर्ण देश में इस आशय का दुष्प्रचार किया कि एनएफटीई पांचवे वेरीफिकेशन का बहिष्कार करेगी एवं यह चुनाव से भयभीत है। सदैव की भांति केवल यह भी एक मनगढ़ंत कहानी थी। यह दुष्प्रचार तथा मनगढ़ंत का प्रसार बीएसएनएलईयू के कार्यकर्ताओं को केवल उत्साहित करने हेतु था। वर्तमान में बीएसएनएलईयू के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता हताश-निराश हैं क्योंकि इसने छः वर्षों में कुछ भी नहीं किया है। बीएसएनएल की वर्तमान दशा चिंता का विषय है। इसने कर्मियों के सम्मान तथा हितों को गिरवी रख दिया है। एनएफटीई चुनावी प्रक्रिया तथा मुकाबले से अपने को कभी भी पृथक नहीं करेगी। आखिर बीएसएनएलईयू के कौन से ऐसे कर्मचारियों के हित के कृत्य हैं जिनके कारण चुनावी मुकाबले से एनएफटीई अपने को अलग करेगी? हम फरवरी 2011 के चुनावी मुकाबले के लिए तैयार तथा दृढ़ता से डटे हैं। एनएफटीई इस मुकाबले में विजय प्राप्त करेगी क्योंकि युनाईटेड फोरम के भी कुछ संघ एनएफटीई का समर्थन देने का मन बना लिया है। समय की पुकार है कि प्रत्येक कर्मचारी को बीएसएनएलईयू की असफलताओं की जानकारी दी जाय जिससे कि उन्हें भविष्य के खतरों का आभास हो। आज कर्मचारियों तथा कंपनी दोनों का भविष्य खतरे में है।

दूसरा वेतन संशोधन केवल बीएसएनएलईयू द्वारा किया गया है। कुछ वर्गों विशेषकर टीटीएज से वसूली में कटौती की

जा रही है। 68.8 प्रतिशत आईडीए मर्जर के कारण प्रत्येक कर्मचारी को लगभग एक हजार रूपए की आर्थिक हानि हुई है। भारत सरकार ने 78.2 प्रतिशत आईडीए मर्जर का आदेश अप्रैल, 2009 में जारी किया था। परंतु बीएसएनएल प्रबंधन तथा मान्यता प्राप्त संघ की सांठ-गांठ के कारण कर्मचारियों को 78.2 प्रतिशत आईडीए मर्जर का लाभ नहीं मिला। एनईपीपी में दलित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण लाभ नहीं मिला। जानबूझ कर ऐसा समझौता किया गया है। अब घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। नियमित मजदूरों, टेलीकाम मैकेनिक्स तथा टीटीएज को धोखा दिया गया है। इन वर्गों के कर्मचारियों को विभागीय प्रोन्नति परीक्षाओं क्रमशः टीएम, टीटीए तथा जेटीओ से वंचित किया गया है। अतएव बीएसएनएलईयू द्वारा मनगढ़ंत, आधारहीन कहानियों तथा दुष्प्रचारों का सिलसिला ऐसा जारी है जैसे कि एक भयभीत व्यक्ति अंधकार में भटकते हुए अंधाधुंध सिटी बजाता है। आईए हम कमर कसें तथा प्रत्येक कर्मचारी से संपर्क करके इनके काले कारनामों को बताएं। आखिर छः वर्षों में कंपनी तथा कर्मचारियों के प्रति इनका क्या योगदान रहा है?

प्रशासन से पत्र

**कोड आफ डिस्सिपलिन में परिवर्तन हेतु विचार
बीएसएनएल/5-1/एसआर/2010 दिनांक 16.8.2010
संघ के सभी महामंत्रियों को**

सभी संघ 31.8.2010 तक अपने प्रस्तावों को विचार हेतु भेज दें जिससे कि बैठक आयोजित हो सके।

**वेरीफिकेशन हेतु सीआरओ की नियुक्ति
बीएसएनएल पत्र संख्या बीएसएनएल/5-1/एस आर
/2010 दिनांक 29.9.2010**

सक्षम अधिकारी के फलस्वरूप श्री नीरज वर्मा, जी एम (ट्रेनिंग) को सीआरओ नियुक्त किया जाता है। उनका फोन

नंबर आदि निम्न है। कार्पोरेट कार्यालय नंबर 011-23714014 फ़ैक्स : 011-23356657

**वेरीफिकेशन की समाप्ति तक ट्रांसफर पर रोक
बीएसएनएल पत्र संख्या बीएसएनएल/5-1/एस आर
/2010 दिनांक 1.10.2010**

वेरीफिकेशन की समाप्ति तक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ट्रांसफर पर रोक है। परंतु यह प्रमोशन तथा वर्ग परिवर्तन पर लागू नहीं होगा।

सर्कुलर संख्या 15

**1.1.2007 से संशोधित वेतनमान पर आईडीए का
भुगतान**

**बीएसएनएल संख्या 14-3/2010 पीएटी
(बीएसएनएल)/संशोधित वेतनमान दिनांक 29.9.2010**
डीपीई का ओएम संख्या 2(70)/2008-डीपीई
(डब्ल्यूसी)-जीएल-XIV/2010 दिनांक 18.10.
2010 का विषय पर पत्र अग्रसरित है।

डीपीई पत्र संख्या 2(70)/2008-डीपीई (डब्ल्यूसी)-
जीएल XVIV/2010 दिनांक 18.10.2010

डीपीई के ओएम दिनांक 2.8.2010 के संशोधन में
डीए का भुगतान निम्नवत होगा।

प्रभावी तिथि	एआईसीपीआई का औसत	संशोधित दर (प्रतिशत)
1.1.2010	176.66	39.8 प्रतिशत

**पूर्व संशोधित वेतनमानों 1.1.97 आईडीए का 1.
10.2010 से भुगतान**

**बीएसएनएल पत्र संख्या 14-3/2010 पीएटी
(बीएसएनएल)/प्री रिवाइज्ड स्केल दिनांक 22.10.2010**
डीपीई पत्र संख्या 2(9)/2000-डीपीई (डब्ल्यूसी)
-जीएल XX/2010 दिनांक 18.10.2010

प्रभावी तिथि	एआईसीपीआई का औसत	संशोधित आईडीए दर (प्रतिशत)
1.1.2010	4033	136.1 प्रतिशत

एलटीसी के साथ अर्जित अवकाश का नगदीकरण

**बीएसएनएल पत्र संख्या 1-10/2010 पी ए टी
(बीएसएनएल)/इनकैशमेंट लीव दिनांक 27.10.2010**

बीएसएनएल बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने एलटीसी में 10 दिनों के अर्जित अवकाश के नगदीकरण का निर्णय लिया है। यह 28.9.2010 से प्रभावी है। यह 28.9.2010 से प्रभावी है। यह पूर्ण सेवाकाल में 60 दिनों तक ही सीमित रहेगा। एलटीसी में नगदीकरण छुट्टी की कटौती 300 दिनों में नहीं होगी। यदि पति-पत्नी दोनों बीएसएनएल में कार्यरत है तो पात्रता यथावत रहेगी तथा नगदीकरण दोनों कर सकते हैं।

**पांचवां वेरीफिकेशन संशोधित इलेक्ट्रोरल का बनना
बीएसएनएल पत्र संख्या बीएसएनएल/5-1/एसआर/2010
दिनांक 1.10.2010 सभी सीजीएमस को**

बीएसएनएल एच आर पैकेज से संशोधित मत सूची तैयार किया जाय। इसमें 31.1.2011 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी नहीं सम्मिलित किए जाएंगे। सर्किल आफिस से विचार विमर्श करके पोलिंग बूथ बनाए जाय जिससे कर्मचारियों को असुविधा नहीं हो तथा खर्च भी कम हो।

प्रशासन को पत्र

**एनईपीपी पर स्पष्टीकरण आदेश-राष्ट्रीय
कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव
टीएफ-26/6 दिनांक 15.10.2010 सीएमडी,
बीएसएनएल को**

कार्पोरेट कार्यालय ने पत्र संख्या 13-2/2010-टीई दिनांक 20.8.2010 द्वारा एनईपीपी पर लगभग चार दर्जन स्पष्टीकरण आदेश जारी किए हैं। इनसे भ्रान्तियों में वृद्धि हुई है। कुछ स्पष्टीकरण आदेश हानिकारक हैं। जालंधर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4/5 अक्टूबर को हुई थी। इन मुद्दों पर चर्चा के उपरांत प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्तावों की प्रतिलिपि संलग्न हैं। कृपया समुचित विचार सुनिश्चित करें। विकल्प की तिथि

22.10.2010 है। अतः इसके पूर्व आदेश जारी करने का कष्ट करें।

**आईडी एक्ट के तहत कन्सीलिएशन
टीएफ-38/6 दिनांक 22.10.2010 सीएमडी तथा
प्रतिलिपि जीएम (एसआर) को**

कृपया आईडी एक्ट के तहत निम्न मुद्दों पर चर्चा हेतु औपचारिक बैठक करें अन्यथा हम चीफ लेबर कमिश्नर से हस्तक्षेप कराने हेतु मजबूर हो जाएंगे।

1. डीओटी की संपदा का बंटवारा
2. नियमित दैनिक मजदूरों का पेंशन
3. दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण
4. सीनियर टीओए का बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार अपग्रेडेशन
5. प्रशिक्षित आरएम्स तथा टीएसएम्स का टीएम में अपग्रेडेशन
6. जेटीओ विभागीय परीक्षा हेतु 5 वर्ष का सेवाकाल

**एनईपीपी में एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण
लाभ**

**टीएफ-26/6 दिनांक 22.10.2010 श्री गोपालदास,
सीएमडी को**

कृपया संघ के पत्र संख्या टीएफ-26/6 दिनांक 15.10.2010 का संदर्भ लें जिसके द्वारा जालंधर में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पारित प्रस्ताव को कार्पोरेट कार्यालय को प्रेषित किया गया है। भर्ती में एससी/एसटी कर्मचारियों को आयु में 5 वर्ष की शिथिलता मिलती है। परंतु रिटायरमेंट आयु ओसी के समान 60 वर्ष की है। दलित वर्ग के कर्मचारियों को योजना में निहित सभी अपग्रेडेशनों का मिलना संभव नहीं है। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि ओटीबीपी/ बीसीआर योजना भी समयोबद्ध थी परंतु उसमें आरक्षण लाभ था।

अतः संघ का अनुरोध है कि एनईपीपी में एससी/एसटी कर्मचारियों के अपग्रेडेशन के लिए समुचित शिथिलता का प्रावधान किया जाय। आशा है आप इस दिशा में समुचित

कार्यवाही करेंगे जिससे कि संबंधित कर्मचारियों के असंतोष का निवारण हो।

पांचवां वेरीफिकेशन

**टीएफ-1/1(सी)/5वां वेरीफिकेशन दिनांक 29.09.
2010 जीएम (एसआर) तथा प्रतिलिपि सीएमडी तथा
चीफ लेबर कमिश्नर को**

दिनांक 30.9.2010 के प्रदर्शन के संदर्भ में पत्र संख्या बीएसएनएल /7-12/एसआर/2010 दिनांक 28.9.2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

आपके पत्र के अनुसार मान्यता नियम में परिवर्तन के लिए बैठक में उपस्थित संघों के मध्य मतैक्य नहीं था। परंतु बहुसंख्या में संघ बीएसएनएल द्वारा नियम बनाने के पक्ष में थे। प्रबंधन को यह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पुराने कोड ऑफ डिस्सिपलिन हेतु भी संघों में मतैक्य नहीं था। यह केवल सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स पर लागू होता है। दिनांक 12.1.2008 की बैठक में आम सहमति बनी थी कि सभी पंजीकृत संघों को न्यूनतम ट्रेड यूनियन सुविधाएं दी जायं। परंतु प्रबंधन ने कोई कार्यवाही नहीं की जिस कारण आज दुखद स्थिति बनी हुई है। चेयरमैन के मनमाने निर्णय के कारण, आठ संघों ने बैठक से बहिर्गमन किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले पर पुनर्विचार करके संघों से मुद्दे पर बैठक करें।

पांचवां वेरीफिकेशन

**टीएफ-1/1(सी)/5 दिनांक 30.09.2010 चीफ लेबर
कमिश्नर को**

चौथे वेरीफिकेशन के समय दिनांक 12.1.2008 की संघों की बैठक में डिपुटी चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा था कि बीएसएनएल मान्यता के अपने नियम बनाए। दिनांक 16.9.2010 की बैठक में 11 में से 9 संघों ने नए नियम बनाने की मांग की। परंतु चेयरमैन, जीएम (एसआर), मनमाना रवैया अपनाते हुए निर्णय दिया कि संघों के मध्य मतैक्य के अभाव में पांचवां वेरीफिकेशन पुराने नियम के अनुसार होगा। यह नियम केवल सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स पर लागू होता है। इस कारण 8 संघों ने बैठक से बहिर्गमन

किया। प्रबंधन मतैक्य का तर्क देकर नवीन नियम नहीं बना रहा है यद्यपि कि पुराने नियम से चुनाव कराने पर भी मतैक्य नहीं है। मनमाने रवैये के कारण संघों में असंतोष है। इस मध्य प्रबंधन ने गलत ढंग से चुनाव प्रारंभ किया है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संघ ने आपको अवगत किया था कि एक लाख से अधिक कर्मचारियों के कष्टों तथा समस्याओं का समाधान एक संघ से नहीं होता है।

कृपया हस्तक्षेप करें तथा गलत कार्यवाहियों पर रोक लगाएं।

पांचवां वेरीफिकेशन

टीएफ-1/1(सी)/5वां वेरीफिकेशन दिनांक 136.10.2010 जीएम (एसआर) को

कृपया संघ के पत्र संख्या टीएफ-1/1(सी)/5वां वेरीफिकेशन का संदर्भ लें।

दिनांक 12.10.2010 को सीएमडी से बैठक के मध्य यह अवगत किया था कि मनमाने रवैये के कारण असंतोष व्याप्त है तथा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। “कोड ऑफ डिस्सिपलिन” की एक प्रतिलिपि भी दी थी जो कि इस सम्बद्ध संघों पर लागू नहीं होती है।

सीएमडी ने बैठक करने का निर्देश दिया था परंतु अभी तक बैठक आयोजित नहीं हुई है। कृपया कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संगठनात्मक गतिविधियां

म.प्र. परिमंडल अधिवेशन उज्जैन में सम्पन्न

म.प्र. परिमंडल अधिवेशन 24 अक्टूबर 2010 महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन अध्यक्ष शिवशंकर दुबे, जिला अध्यक्ष ओ पी श्रीवास्तव, परिमंडल सचिव एन टी सजवानी, उज्जैन दूरसंचार जिला के महाप्रबंधक ओर परिमंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। सुरेशबाबू महाप्रबंधक महोदय ने खुले अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सर्वांगीण विकास में दूरसंचार का महत्वपूर्ण योगदान है। यह विभाग आम जनता को त्वरित व अच्छी सेवा देने के

लिए हमेशा तत्पर है। इसके लिए हमारे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आपने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में सभी को तालमेल से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

परिमंडल सचिव एन टी सजवानी अपने संबोधन में कहा कि विभाग को कमजोर करने की साजिश चल रही है। सामान नहीं मिल रहा है। प्रबंधन लापरवाह होता जा रहा है। मौजूदा समय प्रतिस्पर्धा का है। कंपनी की आर्थिक एवं व्यसवायिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए आपने कहा कि बीएसएनएल के भविष्य से कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा है अतएव सभी मिलकर इसे ठीक से चलाएं। आज आवश्यकता अच्छे वातावरण की है। आपने कहा कि बीएसएनएल प्रबंधन ने समझौते का पालन नहीं किया और मान्यता प्राप्त युनियन ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया इस कारण पेंशन और बोनस के मामले में हमें मुंह की खानी पड़ी। हमें एनएफटीई को मजबूत बनना होगा। अधिवेशन को सुंदरलाल जी, तोतरे जी ने संबोधित किया। प्रारंभ में स्वागत समिति के सचिव श्री सुरेश थोपटे ने अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में 500 कर्मचारियों ने भाग लिया। भोजन, चाय, नाश्ते की उत्तम व्यवस्था किशोर जोशी ने संभाली। कार्यक्रम का संचालन सी के जोशी ने किया। आभार माना श्री एस टी निरखे ने। अंत में सर्वानुमति से चुनाव हुए श्री ए के मिश्रा, श्री हबीब खान, श्री सालोडकर, क्रमशः अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कामरेड जी डी बुराडे जिला सचिव वर्धा चुने गए।

महाराष्ट्र सर्किल कांफ्रेंस

महाराष्ट्र सर्किल कांफ्रेंस दिनांक 27/28 अक्टूबर को कोल्हापुर में साथी तुमराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। साथी इस्लाम तथा साथी कुलकर्णी (सचिव) प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक तथा डेलीगेट सेशन में भाग लिया। साथी इस्लाम कोल्हापुर के जिला सम्मेलन में भी 26 अक्टूबर को सम्मिलित हुए तथा स्थानीय कर्मचारियों को संबोधित किया। इसके पूर्व जलगांव एसएसए का सम्मेलन 25 अक्टूबर को एक विशाल हाल में आयोजित हुई जिसमें जी एम सहित तमाम अधिकारी उपस्थित थे।

शेष पृष्ठ 16 पर

भटिन्डा कांफ्रेंस

एनएफटीई का जिला सम्मेलन दिनांक 10.10.200 का सम्पन्न हुआ। साथी एम एल शर्मा, प्रांतीय मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया।

साथी सोमप्रकाश, उद्यमसिंह तथा लाल बहादुर क्रमशः अध्यक्ष, जिला सचिव तथा खजांची निर्वाचित हुए हैं।



साथी सिंह, महामंत्री सम्मेलन को
सम्बोधित करते हुए



साथी प्रीतम सिंह, अध्यक्ष पंजाब सर्किल महामंत्री
को सम्मानित करते हुए



राष्ट्रीय कार्यकारिणी जालंधर का दृश्य

पृष्ठ 14 का शेष

खुला अधिवेशन अभूतपूर्व था। महिलाओं सहित हाल कर्मचारियों से खचाखच भरा हुआ था। वर्तमान समस्याओं को जानने के लिए कर्मचारी वर्ग आतुर था। साथी इस्लाम ने विस्तार से विभिन्न समस्याओं तथा बीएसएनएल की वर्तमान दशा पर प्रकाश डाला। साथी राठौर, सी.डी. पाटिल तथा दंडगवाडे क्रमशः अध्यक्ष, जिला मंत्री तथा खजांची निर्वाचित हुए हैं।

महाराष्ट्र सर्किल का डेलीगेट सेशन अत्यंत ही आकर्षक तथा उत्साहपूर्ण था। साथी निलाम्बेकर, बाने, पाटिल, हरीश मुक्ताली, मुले, परदेशी, रोहिणी आदि अपने भाषणों में राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथी इस्लाम से बोनस, नई प्रमोशन स्कीम, एससी/एसटी का आरक्षण लाभ, 58 वर्ष की आयु पर रिटायर करने का प्रस्ताव, एलायंस, जेएसी की गतिविधियां तथा तीन दिनों की प्रस्तावित हड़ताल, वीआरएस, पूंजी विनिवेश, आउटसोर्सिंग, बीएसएनएल की आर्थिक दशा, सीडीआर, नवीन प्रमोशन नीति, वेतन संशोधन में कर्मचारियों के साथ भेदभाव आदि मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए विस्तृत जानकारी देने की मांग की।

साथी इस्लाम अपने लंबे संबोधन में बताया कि **विलंब से वेतन समझौते के कारण ग्रुप 'सी' तथा 'डी' कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों में हानियां हुई हैं। भारत सरकार ने 78.2 प्रतिशत आईडीए मरजर का आदेश अप्रैल 2009 में जारी किया था। परंतु मान्यता प्राप्त संघ ने 15.1.2010 के वेतन समझौते में 68.8 प्रतिशत आईडीए मरजर पर हस्ताक्षर करके कर्मचारियों का अहित किया है। नवीन प्रमोशन स्कीम मकड़जाल है। यह अत्यंत भेदभाव तथा दोषपूर्ण स्कीम है। एनएफटीई वीआरएस तथा पूंजी विनिवेश के विरुद्ध है। परंतु बीएसएनएल की आर्थिक दशा चिंता का विषय है। सीडीए नियम, 2006 के द्वारा कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु में रिटायर किया जा सकता है। यह खतरनाक हथियार प्रबंधन के पास है। इसकी वापसी आवश्यक है। तीस वर्षों के पश्चात दशहरा /दुर्गापूजा के पूर्व बोनस का भुगतान नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण लाभ पर आधारित बोनस फार्मूला है। आश्चर्य यह है कि इस वर्ष दुर्गा पूजा के पूर्व बोनस**

भुगतान के लिए बंगाल में प्रत्येक वर्ष की भांति आंदोलन नहीं हुआ। आखिर क्यों? इस पर चिंतन आवश्यक है। अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आवाहन किया कि आईए हम सभी मिलकर एनएफटीई को वेरीफिकेशन में विजयी बनाए जिससे कि सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

साथी तुकराम, साथी रमेश आयरे तथा पंचाल क्रमशः अध्यक्ष, प्रांतीय मंत्री तथा खजांची निर्वाचित हुए हैं।

पिथौरागढ़ में जिला सम्मेलन तथा कर्मचारियों का जमघट

20 अक्टूबर को अल्मोड़ा एसएसए का सम्मेलन पिथौरागढ़ में साथी आर पी ज्वेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। दूसरे एसएसएज विशेषकर हल्दवानी एसएसए से एनएफटीई संघ के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में महिला कर्मचारी भी उपस्थित थी।

सर्किल सेक्रेटरी, साथी उनियाल तथा उपाध्यक्ष, साथी जगबीर सिंह राना ने समारोह को सम्बोधित किया। इसके पूर्व जिलामंत्री, साथी शंकर सिंह, धर्मसत्तू तथा मेहता आदि वक्ताओं ने कर्मचारियों की समस्याओं पर साथी इस्लाम का ध्यान आकर्षित किया।

साथी इस्लाम अपने भाषण में कहा कि ग्रुप 'सी' तथा 'डी' कर्मचारियों के सम्मान को मान्यता प्राप्त संघ ने गिरवी रख दिया है। इसी कारण विभिन्न मुद्दों जैसे कि भत्तों, प्रमोशन स्कीम आदि पर भेदभाव हुआ है। बोनस भुगतान में व्यवधान का मुख्य कारण लाभ पर आधारित समझौता तथा फार्मूला है। यह प्रथम अवसर है कि दुर्गापूजा /दशहरा के पूर्व बोनस को भुगतान नहीं हुआ है। जेटीओ, टीटीए, टेलीकाम मेकैनिक्स की परीक्षाओं में अधिकांश कर्मचारियों को वंचित किया गया है। यह उचित नहीं है। बीएसएनएल कर्मचारियों को वी आर एस नहीं अपितु सीडीए नियम - 2006 का खतरा है जिसमें प्रबंधन को 55 वर्ष की आयु में रिटायर करने का पूर्ण अधिकार है।

साथी इस्लाम ने बताया कि किस प्रकार 50 प्रतिशत आई डी ए मरजर तथा वेतन संशोधन हुआ है। 78.2 आई

डी ए का मरजर नहीं हो सका है क्योंकि वेतन समझौते के समय इस पर मान्यता प्राप्त संघ ने ध्यान नहीं दिया। नई प्रमोशन पॉलिसी केवल मकड़जाल है। एनएफटीई वी आर एस एवं पूंजी विनिवेश के विरुद्ध है। उन्होंने 29 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली तीन दिनों की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की तथा कहा कि बीएसएनएल को केवल बचाना नहीं है अपितु इसे आगे बढ़ाना है। साथी बिष्ट ने समारोह का संचालन किया।

साथी बलवंत सिंह मेहता (अध्यक्ष), बी डी जोशी (उपाध्यक्ष) नरेन्द्र सिंह नायल (जिला मंत्री) तथा आनंद पाठक (खजान्ची) निर्वाचित हुए हैं।

किस्मत चमकेगी हर जगह

मेहनतकशों का संगठन NFTE

मेहनतकशों का संघर्ष NFTE

मेहनतकशों का इतिहास NFTE

मेहनतकशों का भविष्य NFTE

NFTE खुशहाली का राज

NFTE जिंदगी का राज

NFTE से थरते हैं ताज

एक नहीं, अनेकों हैं यहां जांबाज

आओ मिल बैठे,

करे हर दिल की बात

अभी तो रात बाकी है

तभी तो बात बाकी है

जानते हैं हम

सुबह आयेगी,

और हमारे ही इशारों पर

किस्मत चमकेगी हर जगह!

हमें वर्ग है... हम NFTE के साथ हैं

NFTE जिंदाबाद

मजदूर एकता जिंदाबाद

कामरेड जी डी बुराडे, जिला मंत्री, वार्द्धा

एनएफटीई के कर्मठ सिपाही बी डी दास का निधन



यह दुखद है कि एनएफटीई की सबसे मजबूत यूनियन अखिल भारतीय तार यांत्रिक कर्मचारी संघ तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग दरभंगा एवं कटिहार डिवीजन के पूर्व सचिव का निधन दिनांक 10 जुलाई 2010

को प्रातः 4.30 बजे उनके पैतृक घर बरौनी-2 जिला बेगुसराय (बिहार में हो गया। वे 75 वर्ष के थे एवं लंबे समय से कैंसर रोग से ग्रसित थे।

वे आजीवन कटिहार जिला ट्रेड यूनियन कॉर्डिनेशन कमेटी के सचिव रहे। हेड क्वार्टर ट्रेड यूनियन योद्धा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

बीएसएनएल वर्कर्स राष्ट्रीय सम्मेलन

बीएसएनएल वर्कर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 25 अक्टूबर से वाराणसी में आयोजित हुआ।

साथी सी सिंह, महामंत्री खुले अधिवेशन में 25 अक्टूबर को भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि यह सभी मानते हैं कि बीएसएनएल तथा कर्मचारियों की वर्तमान दशा के लिए मान्यता प्राप्त संघ जिम्मेदार हैं। अतः सभी संघों को एकजुट होकर इसे वेरीफिकेशन में परास्त करना आवश्यक है। उन्होंने एकता की पुरजोर अपील की।

बंगाल कार्यकारिणी की बैठक

एनएफटीई बंगाल सर्किल की कार्यकारिणी बैठक 26/27 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में हुई। बैठक में सम्मिलित हुए। सभी एकजुट होकर वेरीफिकेशन में कार्य करने का निर्णय लिया है।

इस वेरीफिकेशन में बंगाल सर्किल का चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक होगा। परिस्थितियां एनएफटीई के पक्ष में है।

रेलवे विभाग का रिप्लेसमेंट स्कीम

संरक्षा कर्मचारी के लिए गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना – (एलएआरएसजीइएस)

रेल मंत्रालय ने संरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (एलएआरएसजीइएस) में संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्ति योजना को आशोधित करने का आदेश दिया है। रेलवे बोर्ड की पत्र सं. इ (पी व ए) I – 2010/आर टी-2 दिनांक 11.9.2010 को इसके अनुबंध के साथ नीचे दिया गया है:-

रु. 1800 के ग्रेड वेतन के साथ संरक्षा कोटियों को आवरणित करते हुए संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्ति

कृपया ड्राइवरों और गैंगमेन के लिए संरक्षा संबंधित सेवा निवृत्ति योजना के परिचयन के संबंध में बोर्ड की पत्र सं. इ (पी व ए) I-2001/ आर टी -2 (के डब्ल्यू) दिनांक 2.1.2004 को संदर्भित करें।

2. यह अब विनिश्चय किया गया रु. 1800/- प्रतिमाह के एक ग्रेड वेतन के साथ कर्मचारी के अन्य संरक्षा कोटियों को योजना का लाभ दिया जाय। योग्यता सेवा को 33 वर्षों से 20 वर्षों तक घटाया गया और रु. 1800/- के ग्रेड वेतन के साथ संरक्षा कोटियों के मामले में योजना के अधीन सेवानिवृत्ति मांगने के लिए योग्यता आयु समूह को 55-57 से 50-57 वर्ष किया गया। योजना के अधीन आवरणित किये गये संरक्षा कोटियों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न की गयी है।

2.1 यह भी विनिश्चय किया गया रु. 1800 के ग्रेड वेतन के साथ संरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (एल ए आर एस जी इ एस) के रूप में योजना के नाम में आशोधन किया जाय। फिर भी योजना के अधीन रोजगार मात्र गारंटी करेगा जो प्राविधि के अनुसार योग्य और उपयुक्त पाये जाते हैं और अंतिम रूप से चयन किये जाते हैं।

3. योग्यता सेवा (अर्थात् 33 वर्षों) की दशा और ड्राइवरों

के लिए आयु समूह (अर्थात् 50-57 वर्ष) अपरिवर्तित रहेंगे।

4. यह भी पुनः दोहराया गया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति मात्र विचारी जायेगी अगर संरक्षित व्यक्ति सभी आयामों में उपयुक्त पाये जाते हैं। कर्मचारियों की सेवा और संरक्षित व्यक्ति की नियुक्ति साथ-साथ की जानी चाहिए।

5. योजना की अन्य शर्तें व दशायें अपरिवर्तित रहेगी।

अनुबंध

रेलवे बोर्ड की पत्र सं. इ (पी व ए) I – 2010 / आर टी -2 दिनांक 11.9.2010 का अनुबंध

रु. 1800 के ग्रेड वेतन के साथ संरक्षा कोटियां

ए. परिचालन विभाग: प्वाइंटसमैन, शंटमैन, लीवर मैन, गेटमैन, यातायात भारवाहक

बी. अभियंत्रण विभाग: गेटमैन, ट्रॉलीमैन, कीमैन

सी. सिग्नल व दूरसंचार विभाग: इ एस एम/ एसएसएम/ टीसीएम/डब्ल्यूटीएम के साथ जुड़े हुए खलासी हेल्पर को हेल्पर ग्रेड-II व ग्रेड-I रूप में पुनः पदनामित किये गये।

डी. अभियंत्रण व विद्युत विभाग: खलासी/ खलासी हेल्पर को डीजल शेड (ओपेन लाइन व कार्यशाला) / इ एम यू/विद्युत शेड (खुले लाइन व कार्यशाला) में लोको फिटर्स/सी व डब्ल्यू फिटर्स/फिटर्स और गाड़ी के प्रकाश व ए सी फिटर्स (ओपेन लाइन व कार्यशाला) को सहायता करने के लिए हेल्पर्स ग्रेड-I व ग्रेड-II के रूप में पदनामित किया गया है।

2. ग्रेड जमादार व क्रेन खलासी।

पाठकों के लाभ हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र सं. इ (पी व ए)

I-2001/आर टी-2 (के डब्ल्यू) दिनांक 2.1.2004 की संबंधित प्रति नीचे दी गयी है।

संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्ति योजना ड्राइवरों और गैंगमैन

12 व 13 जुलाई को आयोजित किये गये भारतीय रेल में संरक्षा पर कार्यशाला में बहस से उठने पर रेल मंत्रालय ने गैंगमैन और ड्राइवरों की कोटियों के लिए संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्त योजना का परिचयन करने का विनिश्चय किया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न जैसी हैं:-

- 1) योजना को संरक्षा संबंधित सेवा निवृत्ति योजना कहा जाय।
योजना दो संरक्षा कोटियों जैसे-ड्राइवरों (शंटरों को छोड़कर) और गैंगमैन को आवरणित करेगा जिनका कार्य गाड़ी परिचालन और ट्रैक अनुरक्षण की संरक्षा एक अहम वहन करता है। योजना को इस विचार पर तैयार किया गया है कि आयु बढ़ने के साथ, इन कोटियों के कर्मचारियों की शारीरिक क्षमता और प्रतिवर्तन घटता है इससे संरक्षा को खतरा होता है।
- ★ **ड्राइवरों** : यह कोटि गाड़ी चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। रनिंग ड्यूटियां निरंतर ध्यान और सतर्कता की मांग करती है। समय की अधिक लंबी रनिंग ड्यूटियों के संपादन में रहने वाले कार्य के अनिश्चित समय के साथ तनाव का उनके स्वास्थ्य पर एक घटते हुए साइकोसोमेटिक प्रभाव का रूझान रखता है। समय के बीतने के साथ प्रतिवर्तन धीरे-धीरे घटता है आपरेशन के कमियों तक आघात करने योग्य उन्हें बनाता है।
- ★ **गैंगमैन** :- यह कोटि ट्रैकों के उचित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है उनकी ड्यूटियों में ट्रैक बिछाने, ट्रैक के मरम्मत, पेट्रोलिंग आदि में भारी मानवीय श्रम संलिप्त होता है। कार्यशालाओं/लोको शेडों के जैसा नहीं सभी यह श्रमिक खुले वातावरण में काम

करते हैं वे अत्यधिक ऋतु दशाओं के सनक, फोर्क लिफ्ट इ आ टी क्रेनों, दुपहिया ठेला आदि की अनुपलब्धता के शर्तों में होते हैं। परिणामस्वरूप बढ़ते आयु की प्रक्रिया के साथ सहयोगी दुर्बलता और रीढ़ और पीठ की समस्या जीवन के काफी पहले समय में पकड़ लेती है।

ये कोटियां, उन दशाओं में काम करती है जिसमें उन कर्मचारियों के तुलना में जो अंतरंग या स्टेशन सीमाओं के अंदर या डिपो या कार्यशाला में काम करते हैं की तुलना में पहले थकान होने लगती है। यद्यपि अन्य को सुरक्षा कोटियों के रूप में नाम दिया गया को एक अहम भूमिका निभानी होती है परिचालन सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, उनकी ड्यूटियों की प्रकृति कम कठिन है। इसलिए गैंगमैन और ड्राइवरों के अलावा कोई अन्य कोटि इस योजना में शामिल नहीं की गयी है। समान कारण के लिए शंटर्स जो स्टेशन यार्डों के कम तनावपूर्ण, शिफ्टवार, ड्यूटियां संपादित करते हैं योजना में शामिल नहीं किये जायेंगे।

- 2) योजना में अधीन, 50-57 वर्षों की आयु समूह में ड्राइवर और गैंगमैन सेवा निवृत्ति मांग सकते हैं।
- 3) कर्मचारी, जिनका योजना के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया जाता है, के उपयुक्त संरक्षित व्यक्ति को एक रोजगार देने पर विचार किया जायेगा।
- 4) कर्मचारी को इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति मांगने के लिए योग्य होने के लिए योग्यता सेवा का 33 वर्ष पूरा किया जाना चाहिए।
- 5) सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध स्वैच्छिक आधार पर होगा और प्रशासन की ओर से बाध्यता का तत्व नहीं होगा।
- 6) संरक्षित व्यक्ति को उनके/उनकी योग्यता और उपयुक्त पर निर्भर करते हुए, संबंधित कोटि जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति मांगता है के न्यूनतम नियुक्ति

- ग्रेड में मात्र नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा लेकिन किसी अन्य कोटि में नहीं।
- 7) उनसे आवेदन, जो इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति प्रस्तावित करते हैं, को एक वर्ष में एक बार लिया जायेगा। इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति मांगने के लिए कर्मचारी की योग्यता का हिसाब लगाने के लिए कट आफ तिथि संबंधित वर्ष का 30 जून होगा। ऐसा सेवानिवृत्त के संरक्षित व्यक्ति के लिए नियुक्ति की सभी दशा जैसे आयु सीमायें, शैक्षणिक योग्यता आदि उस तिथि पर संदर्भ के साथ निर्धारित भी किया जायेगा।
- 8) सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध को जमा करने के लिए और योजना के अधीन नियुक्ति के लिए एक विचार करने के लिए अंतिम तिथि संबंधित वर्ष की 31 जुलाई होगी।
- 9) कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के लिए अपने अनुरोध को वापस लेने की इच्छा रखते हैं को ऐसा करने की अनुमति संबंधित वर्ष के 30 सितम्बर के बाद नहीं दी जा सकती है। अनुरोध की वापसी के लिए अनुरोध को इसके बाद नहीं लिया जायेगा।
- 10) सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध को स्वीकार करने की मर्जी कर्मचारी के कमी ड्राइवर/गैंगमैन जैसा भी मामला हो की कोटि में नियुक्ति के लिए संरक्षित व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और उपयुक्तता पर निर्भरता में प्रशासन के पास निहित होगा।
- 11) उनके जिन्होंने योग्यता के 33 वर्ष पूरे कर लिये हैं और 55 से 57 वर्ष की आयु समूह में हैं को योजना के प्रथम फेज में विचार किया जायेगा जिसका अनुगमन उनके द्वारा जो 53 वर्षों के आगे के आयु समूह में लेकिन 55 वर्षों से कम होगा।
- 12) नियुक्ति के लिए विचार किये जाने वाले संरक्षित व्यक्ति के मामले में योग्यता की दशा समान होगी
- जैसा खुले बाजार से प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए निर्धारित होगा।
- 13) संरक्षित व्यक्ति की उपयुक्तता समान तरीके से आकलन की जायेगी जैसा प्रत्यक्ष नियुक्ति के मामले में किया जाता है। आकलन संबंधित रेल नियुक्ति बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी का अनुरोध मात्र विचार किया जायेगा अगर संरक्षित व्यक्ति चिकित्सा सक्षमता सहीत सभी दृष्टि से नियुक्ति के लिए विचारा जाता है।
- 14) जब संरक्षा संबंधित योजना अस्तित्व के किसी योजना के साथ नेक्सस नहीं रखने वाला एक पैकेज है योग्यता सेवा के प्रति कोई अधिभार कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जो योजना के अधीन सेवा निवृत्ति मांगते हैं। इस योजना के अधीन नियुक्ति में संरक्षित व्यक्ति को अपनी कोटि परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी, अलावे जैसा पहले अस्तित्व के नियम के अधीन अनुमति दी जाती है।
- 15) आवसीय जगह के लिए योग्यता की गणना करने के उद्देश्य के लिए, इस योजना के अधीन नियुक्ति के माध्यम से उन नियुक्त किये गये के साथ समतुल्य माना जायेगा; आवास के जगह के नियमितिकरण की शर्तें जैसा प्रतिपूर्ति आधार पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के संरक्षित व्यक्ति को प्रयोज्य उनके मामले में प्रयोज्य नहीं होगी।
- योजना के प्रथम फेज के सफलतापूर्ण अनुपालन के बाद, 33 वर्षों की योग्यता सेवा से कम के कर्मचारियों को आवरणित करते हुए दूसरे फेज का अनुपालन रेल बोर्ड द्वारा अनुमति देने के लिए विचार किया जायेगा।
- योजना इस पत्र के जारी होने के तिथि से शक्ति में आयेगी।

दीपावली तथा ईद-उल-अजहा की सभी को बधाईयाँ